महात्मा गांधी नरेगा टोल फ्री हैल्पलाईन नम्बर 1800-180-6127

अति–आवश्यक

राजस्थान सरकार
ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग
(अनुभाग–3)

क्रमांक एफ 1(2) ग्रावि / नरेगा / मार्गदर्शिका / 2019 **जयपुर, दिनांक** 04 JUN 2019

जिला कलेक्टर एवं जिला कार्यक्रम समन्वयक
राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारन्टी स्कीम, राजस्थान
समस्त राजस्थान।

विषयः– **महात्मा गांधी नरेगा योजनान्तर्गत कार्यस्थल पर सुविधाओं के संबंध में।**
प्रसंगः– **विभागीय समसंख्यक पत्रांक दिनांक 07.03.2019**

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत प्रासंगिक पत्र के क्रम में महात्मा गांधी नरेगा अधिनियम 2005 (अनुसूची–II के पैरा 22 से 24) में दिये गये प्रावधानुसार प्रत्येक कार्यस्थल पर व्यवस्था उपलब्ध करवाने का दायित्व कार्यकारी एजेंसी का है। इस क्रम में प्रासंगिक पत्रों द्वारा योजनान्तर्गत कार्यस्थल पर निम्न सुविधाऐं सुनिश्चित किये जाने हेतु निर्देशित किया गया है :–

1. कार्य स्थल पर स्वच्छ पेयजल
2. कार्य स्थल पर विश्रामकाल हेतु शैड़
3. कार्य स्थल पर प्राथमिक उपचार बॉक्स
4. कार्य स्थल पर 5 वर्ष से कम उम्र के 5 से अधिक बच्चे महिला मजदूरों के साथ आते हो तो एक महिला मजदूर उन बच्चों की देखभाल हेतु लगाई जायेगी।
5. कार्य रजिस्टर
6. नागरिक सूचना बोर्ड, इत्यादि।

विभिन्न स्तरों से किये गये निरीक्षणों के दौरान कतिपय कार्यस्थलों पर उपरोक्त सुविधाओ हेतु कोई समुचित प्रबंध नहीं किया जाना पाया गया है।

इस क्रम में पुनः निर्देशित किया जाता है कि अधिनियम में दिये गये प्रावधानुसार कार्यस्थलों पर समस्त आवश्यक सुविधाऐं उपलब्ध कराये जाने हेतु संबंधितों को निर्देशित करावें तथा निरीक्षण, बैठक आदि के माध्यम से समीक्षा की जावे।

(पी0सी0 किशन)
आयुक्त, ईजीएस

प्रतिलिपिः–

1. निजी सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव, ग्राविपंरावि.।
2. निजी सचिव, आयुक्त, ईजीएस
3. अतिरिक्त जिला कार्यक्रम समन्वयक, ईजीएस एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी जिला परिषद समस्त राजस्थान ।
4. अधिशाषी अभियन्ता, ईजीएस, जिला परिषद समस्त राजस्थान।
5. कार्यक्रम अधिकारी एवं विकास अधिकारी समस्त राजस्थान।
6. एमआईएस मैनेजर, ईजीएस को बेवसाईट पर अपलोड करने हेतु।
7. रक्षित पत्रावली।

अतिरिक्त आयुक्त ~~(प्रथम), ईजीएस~~

Scanned by CamScanner